प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन को संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लेखापरीक्षा नियमावली, 2011 (सामाजिक लेखापरीक्षा नियमावली) पर लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल है।

पिछले तीन वर्षों (2012-15) में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर ₹1,14,155 करोड़ का व्यय किया गया था। निधि के इस्टतम उपयोग तथा पणधारकों के लाभ हेतु योजना के कार्यान्वयन की सफलता की सीमा को सुनिश्चित करने हेतु सामाजिक लेखापरीक्षा को अप्रैल 2011 में संस्थाकरण तथा अधिसूचित किया गया था। योजना लेखापरीक्षा नियमावली, 2011 के कार्यान्वयन में प्रगति की समीक्षा करने की दृष्टि से हमने यह लेखापरीक्षा करने का निर्णय लिया।

लेखापरीक्षा में सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई तथा 2014-15 के दौरान राज्यों द्वारा की गई सामाजिक लेखापरीक्षाओं के मूल्यांकन को शामिल किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, राज्य सरकारों तथा जिला, ब्लॉक एवं पंचायत स्तरीय कार्यालयों के सबंधित अभिलेखों की फील्ड लेखापरीक्षा अप्रैल 2015 तथा अगस्त 2015 के बीच की गई थी।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई है।